उत्तरांचल शासन

मुख्यमंत्री

श्री नारायण दत्त तिवारी

का

वित्तीय वर्ष 2004—2005 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

मा0 अध्यक्ष महोदय,

मैं, आपकी अनुमति से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2004–2005 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

यह मेरा सौभाग्य है कि इस परम् सम्मानित सदन के समक्ष मुझे प्रदेश की प्रथम निर्वाचित सरकार का लगातार तीसरा बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमती सोनिया गांधी के प्रगतिशील नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए लोक सभा चुनावों में जनता ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन को सत्ता सौंपी है। संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार की नीतियों व क्रियान्वयन की रणनीति को केन्द्र सरकार के प्रथम बजट में स्पष्ट किया गया है जिसके अन्तर्गत शिक्षा व स्वास्थ्य को वरीयता दिया जाना, सिंचाई के लिए आबंटन बढ़ाने के साथ–साथ वर्षा जल संग्रहण व तालाबों–झीलों आदि का सुधार किया जाना, काम के बदले अनाज, अन्त्योदय योजना का विस्तार किया जाना, राजीव गांधी पेयजल मिशन को पुनर्जीवित करते हुए

सभी पेयजल योजनाओं को इसके दायरे में लाया जाना, ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष पुनः स्थापित किया जाना सम्मिलित है।

राज्य की वार्षिक योजना के आकार का निर्धारण न हो पाने के कारण तथा केन्द्र सरकार द्वारा भी इस वित्तीय वर्ष के प्रथम 4 महीनों के लिए लेखानुदान प्राप्त किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा भी 4 माह के लिए लेखानुदान प्राप्त किया गया था। प्रदेश के विकास के लिये हमारी प्राथमिकतायें व रणनीति गतवर्ष के बजट में एवं इस वर्ष पूर्व में ही महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट की जा चुकी हैं। अतः मैं इन्हें विस्तार से नहीं दोहराऊँगा ।

आर्थिक परिवेश एवं वित्तीय प्रबन्धन

वर्ष 2003–04 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने राज्य के गठन के समय से ही प्रदेश की विषम वित्तीय स्थिति की ओर इस सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित किया था। 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों का हमें लाभ

नहीं मिल सका, फिर भी हमने निरन्तर केन्द्र सरकार को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों तथा कठिनाइयों से अवगत कराते हुए विशेष सहायता का अनुरोध किया। हम केन्द्र सरकार तथा योजना आयोग के आभारी हैं कि उन्होंने कुछ सीमा तक विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अतिरिक्त बाजार ऋण की सुविधा प्रदान करते हुए प्रदेश की वार्षिक योजनाओं के लिए सहमति प्रदान की। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष भी योजना आयोग तथा केन्द्र सरकार हमें पर्याप्त विशेष केन्द्रीय सहायता एवं अतिरिक्त बाजार ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हुए राज्य की समुचित आकार की वार्षिक योजना निर्धारित करेगी।

हमारी सरकार द्वारा निरन्तर अनुश्रवण एवं नियंत्रण से इस वित्तीय असंतुलन के प्रभाव को कम करने के प्रयास किये गये हैं जिसके फलस्वरूप वर्ष 2003–2004 में हम केवल 11 दिन ओवर ड्राफ्ट की स्थिति में रहे और एक बार भी भुगतान बन्द होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गयी। वर्ष 2001–2002 के लगभग रु0 764.19 करोड़ के आयोजनागत व्यय के सापेक्ष, वर्ष 2002–2003

में लगभग रु0 1183.64 करोड़ का व्यय हुआ। वर्ष 2002–2003 में राजस्व घाटा रु0 1567.18 करोड़ अनुमानित था जो वास्तविक व्यय के अनुसार रु0 457.29 करोड़ रहा। राजकोषीय घाटा भी रु0 2317.66 करोड़ आय–व्ययक अनुमान के सापेक्ष रु0 888.82 करोड़ रहा है। वर्ष 2003–04 के वास्तविक व्यय के आंकड़े अभी महालेखाकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्ष 2004–05 में राजस्व घाटा वर्ष 2003–04 के पुनरीक्षित अनुमान रु0 1462.72 करोड़ से घटकर रु0 1234.64 करोड़ अनुमानित हैं।

12वाँ वित्त आयोग

भारत के संविधान की धारा– 280 के अन्तर्गत हर 5 वर्ष की अवधि में एक वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जो राज्य सरकारों की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय करों में से राज्य सरकारों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि तथा अन्य अनुदानों के सम्बन्ध में संस्तुति करता है। उपरोक्त उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग का गठन नवम्बर, 2002 में

किया गया था तथा इसे अपनी संस्तुतियां 2005–2010 की 5 वर्ष की अवधि के लिए देनी हैं।

बारहवें वित्त आयोग ने प्रदेश सरकार के साथ अक्टूबर, 2003 में विस्तृत विचार–विमर्श किया है। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने देहरादून पधारकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में विकास कार्यक्रमों तथा वित्तीय संसाधनों की पृष्ठभूमि में प्रदेश की समस्याओं को रुचिपूर्वक सुना। आप सब के सहयोग से प्रदेश की समस्याओं तथा वित्तीय आवश्यकताओं को उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2005 से 2010 की अवधि के लिए लगभग रु0 15800 करोड़ के आयोजनेत्तर राजस्व घाटे की भरपाई हेतु अनुदान की सिफारिश का अनुरोध किया गया है। पुनर्गठन के फलस्वरूप प्रदेश को प्राप्त ऋणग्रस्तता तथा 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों का लाभ प्राप्त न हो पाने के कारण हमने 12वें वित्त आयोग से उपयुक्त ऋण राहत की सिफारिश करने का भी अनुरोध किया है। प्रदेश का लगभग 65 प्रतिशत भाग वनाच्छादित होने के कारण राज्य सरकार को इसके संरक्षण एवं संवर्धन पर जो व्यय

करना पड़ता है तथा राज्य को वन सम्पदा के दोहन न करने से जो वित्तीय हानि होती है उसे भी ध्यान में रखते हुए राज्यों के लिए निर्धारित अंश में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है।

प्रशासन के उन्नयन तथा राज्य की विशेष समस्याएं जिसमें पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, विभिन्न नये कार्यालयों की स्थापना, यात्रा मार्गों में सुधार, प्राथमिक तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं का उच्चीकरण, टिहरी डैम डूब क्षेत्र के पास पुनर्वास एवं अवस्थापना सुविधाओं आदि के लिए भी लगभग रु0 6900 करोड़ के सहायता अनुदान दिये जाने का अनुरोध भी किया गया है।

हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आयोग हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त वित्तीय संक्रमण की संस्तुति करेगा ताकि हम उनके माध्यम से उपलब्ध होने वाले संसाधनों से प्रदेश के विकास को गति प्रदान कर सकें।

वित्तीय प्रबन्धन

वित्तीय वर्ष 2003–2004 में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण–बदली (Debt-Swap) योजना के अन्तर्गत रु0 1104 करोड़ के ऋण के स्थान पर कम ब्याज दर वाले ऋणों को प्राप्त किया गया। भारत सरकार के 10.5 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर वाले अधिकांश ऋण समाप्त हो गये हैं। लगभग रु0 930 करोड़ के बाजार ऋण 5.85 प्रतिशत से 6.40 प्रतिशत ब्याज पर लिये गये हैं तथा लगभग रु0 162 करोड़ का राष्ट्रीय बचत ऋण 9.5 प्रतिशत ब्याज पर लिया गया है। इस ऋण बदली के फलस्वरूप ऋणों पर ब्याज के भुगतान में लगभग रु0 60 करोड़ प्रतिवर्ष की कमी आई है।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रबन्धन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिनका उल्लेख मैंने गत वर्ष के बजट में विस्तार से किया था। कोषागारों में एकीकृत वेतन एवं भुगतान प्रणाली पूर्ण रूप से स्थापित

हो चुकी है। इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं कोषागारों में उपलब्ध डाटा को अधिक सुरक्षित तथा उपयोगी बनाने तथा केन्द्रीय स्तर पर आंकड़ों का समन्वय (कनेक्टिविटी) बनाने के लिए इस वर्ष नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है और देहरादून कोषागार में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसे आरम्भ कर दिया गया है। शीघ्र ही इसे पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जायेगा। ऑन लाइन बजट आबंटन हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिससे भविष्य में सभी प्रशासनिक विभाग, बजट नियंत्रक अधिकारी तथा आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर पर होने वाले वित्तीय व्यवहरण की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से सीधे राज्य स्तर को उपलब्ध करा सकेंगे।

यू0एस0ए0आई0डी0 (USAID) की सहायता से दीर्घकालीन राजकोषीय प्रबन्धन एवं सुधार परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत राजकोषीय नियोजन एवं विश्लेषण, परियोजना मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, ऋण प्रबन्धन, कोषागारों का

* कम्प्यूटरीकरण, सूचना संकलन एवं विश्लेषण आदि के क्षेत्र में तकनीकी सहायता एवं क्षमता का विकास किया जाना है।

वित्तीय सुधार कार्यक्रम

राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिये राज्य सरकार कृत संकल्प है। इसी सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा मध्यकालीन वित्तीय पुनर्संरचना नीति तैयार की गयी है, जिसमें एक रणनीति के तहत राजस्व आय में वृद्धि एवं व्यय में कमी कर प्रतिवर्ष राजस्व घाटे को कम करने का उद्देश्य रखा गया है। इसी प्रकार राज्य के कर्जे में भी कमी करने की रणनीति निर्धारित की गई है।

राज्य में वित्तीय सुधार कार्यक्रम लागू करना भी एक अनिवार्यता है, क्योंकि गम्भीर वित्तीय स्थिति अधिक समय तक नहीं चल सकती अतः इन सुधार कार्यक्रमों को एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इन सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से जहाँ एक ओर हमारा संस्थागत ढाँचा और परिणाममूलक बनेगा, वहीं इससे बेहतर वित्तीय

प्रबन्धन सुनिश्चित होने से प्रदेश के विकास कार्यक्रमों हेतु वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार द्वारा सफलतापूर्वक इन सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की दशा में राज्यों की राजकोषीय सुधार सुविधा के अन्तर्गत भारत सरकार की प्रोत्साहन निधि से भी धनराशि प्राप्त हो सकेगी।

संस्थागत वित्त

प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों को जुटाने के कार्य में संस्थागत वित्त की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य की वार्षिक योजना के लिए वित्तीय संस्थाओं से जो सहायता प्राप्त होती है उसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं के द्वारा वितरित ऋण प्रदेश में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। बैंकों की वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003–04 में लगभग रु0 1200 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है जिसमें से लगभग रु0 452 करोड़ कृषि क्षेत्र के ऋण हैं जो कि कुल ऋण वितरण का 43 प्रतिशत है। किसान क्रेडिट

कार्ड योजना के अन्तर्गत गत वर्ष 299407 किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किये गये। नयी केन्द्र सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में वित्त पोषण को 3 वर्ष में दोगुना करने का निर्णय लिया गया है, जिससे इस वर्ष कृषि क्षेत्र में ऋणों में 30 प्रतिशत तक वृद्धि सम्भावित है।

प्रदेश में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए नियमित रुप से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं और सरकार तथा बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने के फलस्वरूप प्रदेश में जहां मार्च, 2003 में ऋण जमा अनुपात 24.80 प्रतिशत था वह मार्च, 2004 में बढ़कर 27.09 प्रतिशत हो गया जिसे इस वर्ष और बढ़ाने के लिए सघन प्रयास किये जायेंगे।

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि प्रदेश की वार्षिक योजना के वित्त पोषण का महत्वपूर्ण साधन है। पिछले वर्ष के लक्ष्य रु0 700 करोड़ को वर्तमान वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर रु0 900 करोड़ किया गया है जिसके सापेक्ष माह जून तक लगभग 22 प्रतिशत की उपलब्धि है।

राजकोषीय सेवायें

राज्य की राजकोषीय सेवाओं में मुख्य रूप से व्यापार कर, आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीकरण, परिवहन एवं मनोरंजन कर आते हैं। इन सभी क्षेत्रों में प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं सुधार के कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं।

व्यापार कर

प्रदेश सरकार का लक्ष्य जहां एक ओर राजस्व की वसूली को सुनिश्चित करना है वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करना है कि व्यापारियों को कठिनाई न होने पाये तथा कर प्रणाली को सरल एवं सुविधाजनक बनाया जाय। प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई निर्णय लिये गए हैं। पुरानी व्यापार कर बकाया की वसूली के लिए ब्याज व अर्थदण्ड माफी योजना चलाई गयी है। वर्तमान में कर पर प्रचलित ब्याज दरें 24 प्रतिशत वार्षिक एवं 18 प्रतिशत वार्षिक हैं जिन्हें घटाकर क्रमशः 14 एवं 12 प्रतिशत किया जायेगा। वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु व्यापार कर अधिकरण की एक

सदस्यीय पीठ के लिए सुनवाई हेतु विवादित कर की सीमा रु0 50 हजार से बढ़ाकर रु0 2 लाख की जायेगी।

प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अन्तर्राज्यीय बिक्री पर केन्द्रीय बिक्रीकर की छूट हेतु मशीन एवं संयंत्रों पर पूंजी निवेश की सीमा रु0 5 करोड़ से बढ़ाकर रु0 25 करोड़ कर दी गयी है, जिससे काफी बड़ी संख्या में उद्योगों को लाभ होगा तथा विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

गत वर्ष के बजट भाषण में मैंने इस सम्मानित सदन को अवगत कराया था कि विभिन्न राज्यों के बीच मतैक्य स्थापित न हो पाने के कारण सभी राज्यों में नयी "वैट प्रणाली" लागू नहीं हो सकी थी। केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही नयी "वैट प्रणाली" लागू की जायेगी और अधिकांश राज्यों ने इस पर अपनी सहमति भी व्यक्त कर दी है। अगले वित्तीय वर्ष से नयी "वैट प्रणाली" लागू किये जाने के लिए व्यापार कर विभाग का कम्प्यूटरीकरण शीघ्रता से किया जायेगा। वैट प्रणाली प्रारम्भ करने से

पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छोटे व्यापारी इस कर प्रणाली से मुक्त रहें और मध्यम स्तर के व्यापारियों को एकमुश्त समाधान की योजना उपलब्ध रहे, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। व्यापार कर से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक कठिनाइयों तथा अन्य विषयों पर व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक व्यापार कर सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया है।

जांच–चौकियों की स्थापना तथा सघन प्रवर्तन के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2002–2003 में रु0 551.06 करोड़ की प्राप्तियों के विरुद्ध वर्ष 2003–04 के पुनरीक्षित अनुमानों में रु0 643.38 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। इस वित्तीय वर्ष में रु0 718.26 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। व्यापार कर विभाग के कार्यालयों के निर्माण के लिए रु0 10 करोड़ तथा जांच चौकियों के निर्माण के लिए रु0 5 करोड़ का प्राविधान है। विभाग के कम्प्यूटरीकरण के लिए भी रु0 4.5 करोड़ का प्राविधान है।

* आबकारी

मदिरा की तस्करी एवं अवैध व्यापार पर नियंत्रण करने हेतु प्रदेश में 13 जांच चौकियों की स्थापना की गयी है जिससे अवैध व्यापार एवं तस्करी पर नियंत्रण लाने में सफलता प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2003–2004 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार रु0 273.68 करोड़ प्राप्ति की तुलना में वर्ष 2004–2005 में रु0 298.31 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। आबकारी विभाग के मालखाना व बन्धित गोदामों के निर्माण के लिए रु0 1 करोड़ का प्राविधान है।

परिवहन

प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास हेतु सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकार जनता को सरल, सुलभ एवं सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की ओर सतत् प्रयत्नशील है। उत्तरांचल परिवहन निगम को उत्तर प्रदेश से विभाजन के समय काफी पुराना बस बेड़ा तथा वित्तीय दायित्व प्राप्त हुए हैं

तथा पुरानी बसों के रिप्लेसमेंट के लिए काफी अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए भी परिवहन निगम को सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। निगम को रु0 13.00 करोड़ गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराये गये थे तथा इस वित्तीय वर्ष में भी रु0 15 करोड़ का प्राविधान है। इस वर्ष परिवहन निगम द्वारा लगभग 300 नयी बसें क्रय करने का लक्ष्य रखा गया है। परिवहन निगम की कार्य प्रणाली को और अधिक गतिशील बनाया जायेगा। देहरादून में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया गया है जिसके फलस्वरूप नगर में जहां एक ओर यातायात के दबाव में कमी आयेगी वहीं एक ही स्थान से सभी मार्गों हेतु यात्री सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

जनहित में परिवहन विभाग का पुनर्गठन करते हुए अल्मोड़ा में संभागीय परिवहन कार्यालय एवं प्रत्येक जनपद में उप संभागीय परिवहन कार्यालयों की स्थापना की जा रही है।

परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त कार्यालय में ऑन लाईन परमिट एवं संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून से आन लाईन पंजीयन, फिटनेस का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शीघ्र ही परमिट, कर आदि के भुगतान का कार्य भी कम्प्यूटर के माध्यम से प्रारम्भ किया जायेगा। वाहन कर में वर्ष 2003–2004 के पुनरीक्षित अनुमान रु0 86.56 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2004–05 में रु0 93.50 करोड़ का लक्ष्य है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क

स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क में वर्ष 2004–2005 में रु0 153.26 करोड़ प्राप्तियों का लक्ष्य रखा गया है। स्टाम्प तथा पंजीकरण कार्यालय देहरादून में कम्प्यूटर आधारित प्रणाली आरम्भ की जा चुकी है एवं इस वर्ष हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी व किच्छा आदि स्थानों में कम्प्यूटर आधारित प्रणाली लागू करने की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए रु0 2.5 करोड़ का प्राविधान है।

मनोरंजन कर

वर्ष 2002–2003 में छवि गृहों में दर्शकों की घटती संख्या को देखते हुए तथा सिनेमा व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए मनोरंजन कर की दर 100 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गयी थी जिसके फलस्वरूप सिनेमा से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी आयी है। राज्य में केबिल प्रसारण के प्रवर्तन पर विशेष ध्यान दिया गया है जिससे केबिल से प्राप्त मनोरंजन कर में वृद्धि सम्भावित है। वर्ष 2003–2004 के पुनरीक्षित अनुमान रु0 4.35 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2004–2005 में मनोरंजन कर में रु0 6.31 करोड़ राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य है।

अवस्थापना सुविधाओं का विकास

मान्यवर, ऊर्जा, सड़क एवं सेतु, सिंचाई, जलापूर्ति, सूचना प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं के उच्च स्तर, विकास के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। कृषि, औद्यानिक विकास, पर्यटन, रोजगारपरक उद्योग इत्यादि का विकास भी अवस्थापना सुविधाओं की

उपलब्धता पर निर्भर करता है अतः हमने पूर्व की भांति इस वर्ष भी इन क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी है। अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अवस्थापना विकास निधि की स्थापना हेतु रु0 20 करोड़ का प्राविधान है।

ऊर्जा

राज्य में उपलब्ध जल विद्युत क्षमता के दोहन की रणनीति पूर्व में स्पष्ट की जा चुकी है। सरकार द्वारा पूर्व में प्रारम्भ की गयी परियोजनाओं, जिन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध न हो पाने के कारण पूरा नहीं किया जा सका था, को पूर्ण करने के लिए कार्य आरम्भ किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसाधनों के अभाव में इन परियोजनाओं का कार्य बाधित न हो, राज्य विद्युत नियामक आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ऊर्जा विकास निधि का गठन किया गया है।

जल विद्युत परियोजनाओं को तीव्रता से विकसित एवं निर्मित किये जाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्रता से तैयार किये जाने से परियोजनाएं शीघ्र प्रारम्भ

की जा सकती हैं। अतः परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए नई मांग से रु0 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है। अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया गतिशील है। इस परियोजना में मुख्य रुप से पारेषण एवं लघु विद्युत परियोजनाओं को लिया जाना प्रस्तावित है। नाबार्ड से भी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत करायी गयीं हैं जिसके लिए लगभग रु0 47.21 करोड़ का प्राविधान है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के विधिक प्राविधानों की पूर्ति हेतु हमने राज्य में पृथक पारेषण निगम का गठन किया है जिसके लिए रु0 5 करोड़ का प्राविधान है।

वर्ष 2004–05 में 642 गांवों व 756 तोकों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। साथ ही 40,000 बी0पी0एल0 परिवारों को कुटीर ज्योति संयोजन दिये जाने व 500 निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का भी लक्ष्य है। इसी क्रम में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ब्याज मुक्त ऋण योजना के अधीन रु0 99.82 करोड़ का ऋण स्वीकृत कराया जा

चुका है एवं इसके अधीन लगभग रु0 10 करोड़ अग्रिम प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

सौर ऊर्जा, घराटों व माइक्रोहाइडिल से दूरस्थ ग्रामों व तोकों का विद्युतीकरण सहित सुधारित घराट, सौर ऊर्जा चलित फैंसिंग (तारबाड़), सौर ऊर्जा पम्प (पेयजल व सिंचाई हेतु) आदि वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमों हेतु रु0 12.20 करोड़ का प्राविधान है। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 2.70 करोड़ का प्राविधान है।

सड़क एवं सेतु

प्रदेश में मार्गों की लम्बाई लगातार बढ़ाई जा रही है तथा राइडिंग क्वालिटी में निरन्तर सुधार किया जा रहा है। प्रदेश की सड़क अवस्थापनाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने की योजना प्रक्रिया में है जिसके अन्तर्गत राज्य मार्गों एवं प्रमुख जिला मार्गों की लगभग 1400 कि0मी0 लम्बाई का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण प्रस्तावित है।

प्रदेश के जनपदों का मास्टर प्लान भी बना लिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी ऋण प्राप्त करने की योजना प्रक्रिया में है और आशा है कि विश्व बैंक एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक से अनुबन्ध हो जाने के उपरान्त इस वर्ष तथा आगामी वर्षों में भी सड़कों के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी और निर्माण में तेजी लाई जा सकेगी। इस वित्तीय वर्ष में 545 कि0मी0 मार्गों का नव निर्माण, 507 कि0मी0 मार्गों का पुनः निर्माण एवं सुधार तथा 87 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य है तथा 600 कि0मी0 लम्बाई में नवीनीकरण व 50 ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है। केन्द्र सहायतित योजनाओं के लिए रु0 17.62 करोड़ का प्राविधान है तथा केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित कार्यों के लिए रु0 15 करोड़ का प्राविधान है। राज्य सैक्टर के अन्तर्गत चालू निर्माण कार्यों के लिए रु0 67 करोड़ व नये निर्माण कार्यों के लिए रु0 6 करोड़ का प्राविधान है। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत रु0 9.75 करोड़ का प्राविधान है। गत वर्ष सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय के पुनरीक्षित

अनुमान रु0 166.96 करोड़ के सापेक्ष इस वर्ष लगभग रु0 84 करोड़ की वृद्धि की गयी है तथा विश्व बैंक व एशियन डेवलपमेंट बैंक से सहायता प्रारम्भ होने के बाद यथा समय अनुपूरक मांगों से अतिरिक्त आय–व्ययक व्यवस्था कराई जायेगी।

पेयजल

केन्द्र सरकार द्वारा सभी पेयजल योजनाओं को राजीव गांधी पेयजल मिशन के संरक्षण में लाने तथा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकारों के परामर्श से ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों की योजना बनाने, कार्यान्वित करने, स्वामित्व रखने, संचालन और अनुरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए निधियों की सुपुर्दगी करने का निर्णय लिया है। प्रदेश की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है एवं केन्द्र सरकार के द्वारा घोषित नीति का अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयास किया जायेगा।

वर्ष 2004—05 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए रु0 74.97 करोड, ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के लिए रु0 6 करोड़, त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु रु0 23 करोड़, सम्पूर्ण ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 10 करोड़ का प्राविधान है।

समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जहां—जहां हैण्डपम्पों द्वारा पेयजल उपलब्ध हो सकता है वहां असेवित तथा आंशिक सेवित बस्तियों के साथ—साथ वैकल्पिक स्रोत के रूप में हैण्डपम्पों का निर्माण कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत गंगा नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गंगा नदी के किनारे स्थित नगरों में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना की जा रही है। योजना के प्रथम चरण में हरिद्वार एवं ऋषिकेश में निर्मित कार्यों के रख—रखाव के लिए रु0 5 करोड़ का प्राविधान है। द्वितीय चरण में हरिद्वार ऋषिकेश के साथ—साथ बद्रीनाथ, जोशीमठ, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग,

नन्दप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग व उत्तरकाशी नगरों की कुल 30 परियोजनाएं (अनुमानित लागत रु0 20.28 करोड़) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी हैं जिसके लिए इस वर्ष रु0 5 करोड़ का प्राविधान है। देहरादून शहर में पेयजल की कमी को पूरा करने के लिए बीजापुर कैनाल से 12 एमएलडी पानी प्राप्त करने की योजना पूर्ण कर ली गयी है। केन्द्र पोषित सैक्टर रिफार्म पाइलेट प्रोजेक्ट हरिद्वार के लिए रु0 15 करोड़ का प्राविधान है।

स्वजलधारा परियोजना के लिए रु0 24 करोड़ का प्राविधान है। सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण के लिए रु0 5 करोड़ का प्राविधान है। स्वजल परियोजना द्वितीय चरण के वित्त पोषण हेतु विश्व बैंक से सैद्धान्तिक स्वीकृति वर्ष 2003—04 में प्राप्त हुई है।

सिंचाई

प्रदेश के असिंचित क्षेत्र का अधिकांश भाग ऊँचे पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों के ढलानों में छोटे–छोटे टुकड़ों में स्थित है, जहां पर जल के प्राकृतिक स्रोतों का अत्यन्त अभाव है, फिर भी जल संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार असिंचित क्षेत्रों को सिंचित करने का कार्य त्वरित गति से कराया जा रहा है। राज्य के व्यापक हित में नहरों, लघु डाल नहरों, नलकूपों, गूलों, आफसूटों आदि के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एवं नाबार्ड से धन प्राप्त कर विभिन्न सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करने का निर्णय लिया है अतः केन्द्र सरकार की योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने का प्रयास किया जायेगा।

लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाई–ड्रम स्प्रिंकलरों के निर्माण के लिए रु0 3.58 करोड़, गूल–हौज

एवं पाईप लाईन के निर्माण हेतु रु0 4.14 करोड़, क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत रु0 3 करोड़, नलकूपों के निर्माण के लिए रु0 13.50 करोड़, नहरों के निर्माण इत्यादि के लिए रु0 14.53 करोड़, लघु डाल नहरों के पुनरोद्धार के लिए रु0 3.10 करोड़ का प्राविधान है। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों के लिए रु0 5.50 करोड़ तथा आपातकालीन कार्यों के लिए रु0 6 करोड़ की व्यवस्था है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिए रु0 51.51 करोड़ का प्राविधान है।

वर्ष 2004–05 में 2917.60 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन की व्यवस्था को प्रभावी रुप से लागू करने के लिए निर्मित योजनाओं को पंचायतों को चरणबद्ध रूप से हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के अतिरिक्त आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में राज्य के युवा वर्ग में इस अति महत्वपूर्ण क्षेत्र में क्षमता एवं दक्षता का विकास करना हमारा उद्देश्य है।

सूचना प्रौद्योगिकी के उत्तरांचल में सतत् विकास हेतु सुदूर संवेदनशील प्रणाली के विकास हेतु अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की स्थापना हेतु नई मांग के द्वारा रु0 50.00 लाख का प्राविधान है। देहरादून एवं भीमताल में आई0टी0 पार्क की स्थापना किये जाने हेतु नई मांग से रु0 16 करोड़ का प्राविधान है। उत्तरांचल में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अकादमी की स्थापना की जा चुकी है तथा इसी के क्रम में नैनीताल में भी कुमायूँ विश्वविद्यालय नैनीताल में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण हेतु माइक्रोसॉफ्ट सेंटर की स्थापना की जा रही है।

विश्व बैंक सहायतित आर्थिक सुधार परियोजना हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार हेतु रु0 20 करोड़ का प्राविधान है। उपर्युक्त के अतिरिक्त उत्तरांचल में ई–गवर्नेंस के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु भू–अभिलेखों, परिवहन प्रणाली, स्मार्ट कार्ड्स तथा भुगतान, सम्पत्ति सम्बन्धी अभिलेखों के रख–रखाव की व्यवस्था भी की जा रही है।

मानव संसाधन विकास

प्राथमिक शिक्षा

सभी बालक व बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मानकों के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था, कक्षा हेतु भवनों का निर्माण, पेयजल एवं स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सर्वशिक्षा अभियान के लिए रु0 32.17 करोड़ तथा प्राथमिक शिक्षा योजना के लिए रु0 3.22 करोड़ का प्राविधान 25 प्रतिशत राज्यांश

के रुप में है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु रु0 3.5 करोड़ का प्राविधान है। प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु लगभग रु0 512 करोड़ का प्राविधान है। केन्द्र सरकार द्वारा 2 प्रतिशत उपकर लगाकर शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने का निर्णय लिया गया है। अतः अंशदान के रुप में प्राथमिक शिक्षा के लिए वार्षिक योजना हेतु अतिरिक्त परिव्यय प्राप्त करने हेतु कदम उठाये जायेंगे।

माध्यमिक शिक्षा

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं का भी विस्तार किया जा रहा है ताकि बच्चों को अपने गांवों के समीप ही माध्यमिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध हो सकें और उन्हें माध्यमिक शिक्षा से वंचित न होना पड़े। माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न कार्यों के लिए लगभग रु0 580 करोड़ का प्राविधान है जिसके अन्तर्गत भवनों के निर्माण के लिए रु0 11.35 करोड़, राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए रु0 8 करोड़ तथा जिला स्तर पर शिक्षा

कार्यालयों आदि के निर्माण के लिए रु0 3 करोड़ का प्राविधान है। इस वर्ष माध्यमिक विद्यालयों में भी पकापकाया भोजन उपलब्ध कराने की योजना आरम्भ की जा रही है जिसके लिए नई मांग के माध्यम से रु0 17.50 करोड़ का प्राविधान है। अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा नियुक्त पी0टी0ए0 शिक्षकों को मानदेय के लिए भी नई मांग से रु0 2 करोड़ का प्राविधान है। माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए रु0 5.20 करोड़ का प्राविधान है।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि तथा राजकीय महाविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इस वर्ष टनकपुर तथा चकराता में नये महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। राजकीय महाविद्यालयों में भवन निर्माण तथा उपकरण, साज–सज्जा आदि के लिए लगभग रु0 10 करोड़ का प्राविधान है। संस्कृत अकादमी के लिए रु0 2.31 करोड़ का प्राविधान है। महाविद्यालयों

में कम्प्यूटर शिक्षा योजना के लिए रु0 1.07 करोड़ का प्राविधान है।

प्राविधिक शिक्षा

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के 15 पॉलिटैक्निक व 3 इंजीनियरिंग कालेजों के निरन्तर सुदृढ़ीकरण हेतु उपकरणों का क्रय एवं भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इस वर्ष कोटद्वार जनपद पौड़ी में एक पॉलिटेक्निक खोलने के लिए नई मांग से रु0 1.25 करोड़ की व्यवस्था हैं। भवन निर्माण आदि हेतु लगभग रु0 3 करोड़ का प्राविधान है। इंजीनियरिंग कालेज पन्तनगर के लिए रु0 5.84 करोड़, द्वाराहाट के लिए रु0 7.3 करोड़ व घुड़दौड़ी के लिए रु0 7.6 करोड़ का प्राविधान है। तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की बाह्य सहायतित परियोजना के लिए रु0 10 करोड़ का प्राविधान है।

खेलकूद एवं युवा कल्याण

राज्य में खेलों के सर्वांगीण विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन एवं स्टेडियम का सुदृढ़ीकरण, प्रतिभावान खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा राज्य खेल संघो आदि की प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं क्रीड़ा उपस्करों के क्रय हेतु अनुदान दिये जाने की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। देहरादून में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स की स्थापना के लिए रु0 1.05 करोड़, अगस्तमुनि (रुद्रप्रयाग) में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स की स्थापना के लिए रु0 1.64 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए रु0 2.5 करोड़, स्पोर्ट्स स्टेडियम के चालू कार्यों के लिए रु0 75 लाख तथा देहरादून स्पोर्ट्स कालेज के भवन निर्माण हेतु रु0 50 लाख की व्यवस्था है। स्पोर्ट्स कालेज के छात्रों को पौष्टिक आहार दिये जाने हेतु इस मद में प्रतिदिन रु0 40 की धनराशि को बढ़ाकर रु0 80 किया जायेगा।

युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम की स्थापना के लिए रु0 50 लाख, युवा कल्याण परिषद को अनुदान के लिए रु0 15 लाख तथा प्रान्तीय रक्षक दल कल्याण कोष के लिए रु0 10 लाख का प्राविधान है।

संस्कृति

प्रदेश में साहित्य, संस्कृति एवं कला से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के सुनियोजित विकास हेतु उत्तरांचल संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2003–04 में उत्तराखण्ड आन्दोलन में शहीद हुए शहीदों की स्मृति में देहरादून में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया जा चुका है। रामपुर तिराहा, खटीमा एवं मसूरी में शहीद स्मारक निर्माणाधीन है। अल्मोड़ा में सांस्कृतिक परिसर का निर्माण प्रगति पर है।

महान विभूतियों की मूर्ति स्थापना के लिए रु0 30 लाख तथा शहीद स्मारकों के अनुरक्षण के लिए रु0 10

लाख की व्यवस्था है तथा पुरातत्व संरक्षण के लिए रु0 75 लाख की व्यवस्था है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राज्य में "सभी के लिए स्वास्थ्य" के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा जनमानस को उपलब्ध कराये जाने वाली सेवाओं की पहुंच को सरल एवं प्रभावी बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस वर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली तथा द्वितीय स्तर रक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण आदि के अन्तर्गत 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 50 उप केन्द्रों की स्थापना तथा निर्माण एवं 2 तहसील स्तरीय चिकित्सालयों के उच्चीकरण का लक्ष्य है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए रु0 4.9 करोड़, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए रु0 3.20 करोड़, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु रु0 4 करोड़ की व्यवस्था है।

रुद्रपुर व श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु चिकित्सालयों के उच्चीकरण हेतु रु0 6.30 करोड़ का प्राविधान है। उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम परियोजना के अन्तर्गत 21 चिकित्सा इकाइयों के भवनों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण आदि कार्यों हेतु रु0 44.55 करोड़ का प्राविधान है।

हर्ष का विषय है कि इस वर्ष मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त फारेस्ट हास्पिटल ट्रस्ट, हल्द्वानी, मेडिकल कालेज में पठन–पाठन आरम्भ किया जा रहा है।

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार किया जा रहा है केन्द्र सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत आयुष फार्मसियों एवं आयुर्वेदिक कालेजों के सुदृढ़ीकरण के कार्य किये जा रहे हैं। आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण आदि के लिए रु0 1.74 करोड़ की व्यवस्था है। आयुर्वेदिक कालेज हरिद्वार के लिए रु0 1.40 करोड़ का प्राविधान है।

एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाओं के सफल संचालन, प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु एक समन्वित महानिदेशालय के भवन निर्माण हेतु नई मांग से रु0 3 करोड़ का प्राविधान है।

आवास तथा नगर विकास

पिछला बजट पेश करते समय मैंने इस सम्मानित सदन को अवगत कराया था कि नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण विभिन्न नगरीय सुविधाओं पर दबाव बढ़ा है और इस परिप्रेक्ष्य में नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जा रही है जिसके अन्तर्गत कुछ नगरों की महायोजना तैयार की जा चुकी है एवं शेष में कार्य प्रगति पर है। छोटे एवं मध्यम नगरों का समेकित विकास योजना के अन्तर्गत रु0 4 करोड़ का प्राविधान है। अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए भी रु0 5 करोड़ का प्राविधान है। नैनीताल जनपद की झीलों के संवर्धन एवं पुनर्जीवीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा रु0 64.85 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रदान की

गयी है जिसके लिए रु0 37.80 करोड़ का प्राविधान है। इस परियोजना में आई0आई0टी0 रुड़की का तकनीकी सहयोग भी प्राप्त किया गया है। 11वें वित्त आयोग से सहायतित झीलों के पुनरोद्धार योजना के लिए भी रु0 5.50 करोड़ का प्राविधान है।

केन्द्र सहायतित स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के लिए रु0 1.67 करोड़ तथा मलिन बस्ती सुधार योजना के लिए रु0 2.20 करोड़ का प्राविधान है।

नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए विश्व बैंक तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके लिए परियोजनाओं की प्रारम्भिक तैयारी हेतु रु0 2 करोड़ का प्राविधान है।

शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में रु0 69.10 करोड़ तथा 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में रु0 9.73 करोड़ अनुदान का प्राविधान है।

राज्य के गठन के पश्चात् हरिद्वार में प्रथम अर्धकुम्भ मेला राज्य के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती भरा कार्य था तथा राज्य के सीमित संसाधन एवं जनशक्ति से ही मेले को निर्विघ्न रुप से सकुशल सम्पन्न कराया गया। मेला क्षेत्र में दीर्घकालीन अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी बल दिया गया तथा इस वित्तीय वर्ष में हरिद्वार कुम्भ मेला क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए रु0 20 करोड़ का प्राविधान है।

औद्योगिक विकास

भारत सरकार द्वारा प्रदेश को नये औद्योगिक पैकेज की घोषणा के बाद प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था, पर्याप्त बिजली, पानी की उपलब्धता, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध इत्यादि के कारण प्रदेश उद्योगों के आकर्षण का केन्द्र बना है। अब तक लगभग 500 उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है जिसमें लगभग रु0 7500 करोड़ का निवेश सम्भावित है।

कोटद्वार जनपद पौड़ी में ग्रोथ सेंटर स्थापित करने की परियोजना को भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। हरिद्वार में बी0एच0ई0एल0 परियोजना में लगभग 1500 एकड़ एवं पन्तनगर में 2400 एकड़ भूमि पर एकीकृत औद्योगिक आस्थानों का विकास किया जा रहा है। नये औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के लिए रु0 70 करोड़ का प्राविधान है। उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सिड्कुल द्वारा स्वयं अथवा संयुक्त क्षेत्र में विकसित औद्योगिक आस्थानों के भूमि के अन्तरण पर स्टाम्प ड्यूटी वास्तविक विक्रय मूल्य के स्थान पर सर्किल रेट पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है। एकीकृत अवस्थापना केन्द्रों की स्थापना के लिए रु0 4 करोड़ व ग्रोथ सेंटर की स्थापना के लिए रु0 1.90 करोड़ का प्राविधान है। पन्तनगर विश्वविद्यालय में बायोटैक्नोलॉजी पार्क की स्थापना के लिए रु0 1 करोड़ का प्राविधान है। खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता के लिए रु0 3.23 करोड़ का प्राविधान है। लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज उपादान

योजना के लिए रु0 50 लाख का प्राविधान है। खादी एवं ग्रामोद्योग क्रियाओं को प्रोत्साहित करके स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

कृषि एवं औद्यानिकी विकास

प्रदेश के लगभग 14 प्रतिशत भू–भाग में ही खेती होने के बावजूद कृषि राज्य का मुख्य व्यवसाय है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं समवर्गी सेवाओं का औसत अंश लगभग 30 प्रतिशत रहा है। विकास की दर बढ़ाने के लिए कृषि एवं समवर्गी सेवाओं में निवेश एवं उत्पादकता बढ़ाना परम आवश्यक है। केन्द्र सरकार द्वारा भी कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत कृषि विविधीकरण, बागवानी तथा डेरी एवं मछली पालन उद्योग को भी प्राथमिकता दी गयी है। उत्तरांचल की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए कृषि विविधीकरण की विभिन्न योजनाएं चलाईं जा रही हैं जिसके अन्तर्गत बेमौसमी सब्जियां, पुष्प, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य उत्पादन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, जड़ी–बूटी आदि

सम्मिलित हैं तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई आधुनिकतम तकनीकी एवं उच्च उत्पादकता के बीजों को उपलब्ध कराना सम्मिलित है। माइक्रोमोड योजना के अन्तर्गत कृषि विविधीकरण के लिए रु0 17.09 करोड़ का प्राविधान है। किसानों हेतु फसल बीमा योजना के लिए बीमा कम्पनी को प्रीमियम हेतु रु0 75 लाख का प्राविधान है।

उत्तरांचल स्टेट सीड एण्ड ऑर्गनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेन्सी की प्राथमिकता प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों के कृषकों को उच्चकोटि के प्रमाणित बीजों को उपलब्ध कराना है। जैविक कृषि उत्पाद क्रय करने की प्रभावी पहल की जा रही है।

वर्ष 2001 में पर्वतीय जनपदों में सब्जियों के प्रमाणित बीज उत्पादन का क्षेत्रफल 322.43 हैक्टेयर था जो कि वर्ष 2003–04 में 688.73 हैक्टेयर हो गया है जिसे आगे और बढ़ाया जायेगा।

औद्यानिकी विकास के अन्तर्गत उद्यान, बागवानी, मधुमक्खी पालन, उन्नत किस्म की रोपण सामग्री इत्यादि योजनाएं चलाई जा रहीं हैं। राज्य में चाय विकास योजना के लिए रु0 3 करोड़, जड़ी–बूटी संस्थान को अनुदान के लिए रु0 4 करोड़, रोगरहित बीज व कीटनाशकों की आपूर्ति के लिए रु0 3.28 करोड़ का प्राविधान है। 27 राजकीय उद्यानों के सुदृढ़ीकरण के लिए रु0 2.42 करोड़ का प्राविधान है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड एवं एपीडा सहायतित योजनाओं पर राज्य सहायता के लिए रु0 80.00 लाख का प्राविधान है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में औद्यानिक विकास हेतु रु0 34.60 लाख का प्राविधान है। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय बागवानी मिशन की योजनाओं से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

बागवानी के एकीकृत विकास हेतु हार्टीकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से रु0 80 करोड़ की पंचवर्षीय योजना का शुभारम्भ गत वर्ष

किया गया है। इस परियोजना में बागवानी की नर्सरी अवस्थापना से लेकर विपणन, निर्यात एवं प्रसंस्करण तक शामिल समस्त विषयों का समन्वित प्रयोग कर फसलों की जलवायु आवश्यकता तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मांग के अनुसार उनका गुणवत्ता युक्त उत्पादन किया जायेगा। इस परियोजना के माध्यम से किसानों को बागवानी विकास के समस्त तकनीकों पर विस्तृत जानकारी, कृषक प्रक्षेत्रों पर प्रदर्शन, कृषकों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहित्य का वितरण किसानों को किया जायेगा।

रेशम विकास

प्रदेश में रेशम के उत्पादन में वृद्धि के लिए सहकारी समितियों को रेशम विकास हेतु कार्यशील पूंजी, केन्द्र पोषित कैटेलिक योजना, चाकी भवनों का निर्माण व रिनोवेशन, जैविक रेशम विकास, वृक्षारोपण विकास, रेशम वस्त्र विकास इत्यादि योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा यू0एन0डी0पी0 की सहायता से ओकटसर परियोजना चलाई जा रही है। रेशम विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए रु0 5.16 करोड़ का प्राविधान है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

अधिक उत्पादकता एवं शर्करा देने वाली प्रजातियों का प्रसार गन्ना उत्पादकों एवं चीनी मिलों, दोनों के लिए ही अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राज्य में 5 वर्षीय गन्ना बीज बदलाव योजना तथा कृषकों को गन्ना मूल्य के भुगतान को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। इस वर्ष 18 किलोमीटर अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण तथा लगभग रु0 20.50 करोड़ के नाबार्ड ऋण कृषि निवेश के रुप में उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

जलागम प्रबन्धन

ग्रामीण क्षेत्रों में आय के संसाधन बढ़ाकर उत्पादकता में वृद्धि एवं आय में वृद्धि के नये अवसर उत्पन्न होते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास में भी मदद मिलती है। वर्तमान में जलागम प्रबन्ध परियोजनाएं ग्रामीण समुदायों के सहयोग से चलाई जा रहीं हैं। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण समुदायों की क्षमता एवं कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया

जाता है। प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक नवीन महत्वाकांक्षी जलागम प्रबन्ध परियोजना स्वीकृत हो चुकी है जिसमें लगभग बारह सौ राजस्व ग्राम सम्मिलित होंगे। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा, जिससे ग्राम पंचायत तथा ग्रामीण समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकताओं के आधार पर नियोजन एवं क्रियान्वयन कर सकेंगे। इस परियोजना की लागत रु0 405 करोड़ है जिसमें से रु0 315 करोड़ विश्व बैंक का अंश है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित आई0डब्ल्यू0डी0पी0 (हिल्स–II) शिवालिक के लिए रु0 36.33 करोड़ का प्राविधान है। विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना, जो कि सितम्बर, 2004 से प्रारम्भ की जायेगी, के लिए रु0 5 करोड़ का प्राविधान है।

वन एवं पर्यावरण

वनों के प्रबन्धन में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए एक अभियान गत वर्ष चलाया गया था और अब तक लगभग 11300 वन पंचायतों का गठन हो चुका है और

2500 में गठन की प्रक्रिया जारी है। समस्त राजस्व ग्रामों में वन पंचायतें गठित करने का लक्ष्य इस वर्ष रखा गया है।

जड़ी–बूटियों के उत्पादन के लिए लगभग 1200 हैक्टेयर वन भूमि में 24 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। औषधीय एवं सुंगन्ध पादपों का सर्वेक्षण कर उन्हें मानचित्र में दर्शाने हेतु प्रदेश में पहली बार कार्य आरम्भ किया गया है। बॉस, रिंगाल एवं चाराघास तथा वनस्पति रेशा के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के लिए बांस व रेशा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी है। लगभग 3000 हैक्टेयर में बांस प्रजातियों का रोपण किया गया है। बांस तथा जैटरोफा के व्यवसायीकरण व वृहद स्तर पर वन पंचायतों के माध्यम से वृक्षारोपण करके क्रमशः इलैन्ड कम्पनी, थाइलैंड व उत्तरांचल बायोफ्यूल के साथ अनुबन्ध किया जा चुका है इसके लिये इन दोनों प्रतिष्ठानों द्वारा उत्तरांचल में लगभग रु0 525 करोड़ की पूंजी लगाई जायेगी।

वन भूमि के हस्तान्तरण के मामलों को स्वीकृत कराने में विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न न हो। इन प्रयासों के कारण प्रदेश के सृजन के पश्चात् अभी तक 768 प्रकरणों में वन भूमि विकास कार्यों हेतु हस्तान्तरित करवाई जा चुकी है। वन विभाग के विभिन्न कार्यों के लिए आय–व्ययक में लगभग रु0 212 करोड़ की व्यवस्था है।

पर्यटन

विश्व के पर्यटन मानचित्र में उत्तरांचल को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आकर्षण के रूप में स्थापित करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कर रोजगारपरक बहुमुखी विधाओं का पर्यावरणीय दृष्टि से सुनियोजित एवं समेकित रूप से विकास कर आर्थिक व सामाजिक उन्नयन के लिए पर्यटन को उत्तरांचल का पर्याय बनाने की भावना को लेकर उत्तरांचल की पर्यटन नीति तैयार की गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सुनियोजित एवं त्वरित समेकित विकास हेतु विभिन्न विधाओं तथा संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण,

अवस्थापना सुविधाओं का विकास, निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश में वृद्धि, रोजगार के लिये उपादान योजनायें, मानव संसाधन विकास, प्रचार–प्रसार एवं पर्यटन विपणन, पर्यटन आधारित शिल्प उद्योग को प्रोत्साहन आदि पर्यटनोपयोगी गतिविधियों को चुनौतीपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने पर बल दिया जा रहा है। इस वर्ष पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें विकसित करने हेतु रु0 4.50 करोड़, चालू निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए रु0 5 करोड़, यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं के लिए रु0 8 करोड़ "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत निजी उद्यमियों को अनुदान देने के लिए रु0 5 करोड़, का प्राविधान है। 11वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत चार धाम यात्रा विकास के लिए रु0 7.33 करोड़ का प्राविधान है।

कल्याण योजनाएं

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का कल्याण

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण के लिए शैक्षिक विकास, स्वरोजगार, अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधा के विकास आदि की विभिन्न योजनाएं हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु रु0 8.31 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु रु0 3.53 करोड़ का प्राविधान है। आश्रम पद्धति विद्यालयों के भवनों तथा छात्रावास के निर्माण के लिए रु0 1.60 करोड़ का प्राविधान है। अनुसूचित जातियों के लिए बहुउद्देशीय निगम के माध्यम से स्वरोजगार योजनाओं हेतु रु0 2 करोड़ अनुदान तथा रु0 1 करोड़ अंशपूंजी का प्राविधान है। आदिम जनजाति यथा– बुक्सा, राजी आदि के लिए विशेष योजना के अन्तर्गत रु0 83 लाख का प्राविधान है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्बल वर्गों यथा– रिक्शा चालक, बुक्सा, राजी आदिम जनजातियों, धर्मसेवकों आदि हेतु जनश्री बीमा

योजना के अन्तर्गत इस वर्ष गत वर्ष के रु0 3.35 करोड़ के पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष इस वर्ष रु0 4 करोड़ का प्राविधान है।

इस वर्ष नई मांग के माध्यम से अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को जीविकावसर योजना के अन्तर्गत रु0 10.58 करोड़, विकास की परियोजनाओं हेतु सहायता के लिए लगभग रु0 8.85 करोड़, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधा के विकास के लिए रु0 50 करोड़ का प्राविधान है। एक नयी शिल्पी ग्राम योजना के लिए लगभग रु0 6.78 करोड़ का प्राविधान है। अनुसूचित जनजातियों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कालसी एवं चकराता की स्थापना के लिए रु0 51.08 लाख का प्राविधान है। अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु जीविकावसर प्रोत्साहन योजना के लिए रु0 2.22 करोड़ तथा शिल्पीग्राम योजना के लिए रु0 1.21 करोड़ का प्राविधान है।

समाज कल्याण

वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत रु0 7.61 करोड़, विधवा पेंशन के अन्तर्गत रु0 7.83 करोड़ का प्राविधान है। राजकीय विशेष गृह एवं बालगृह के निर्माण के लिए रु0 3.75 करोड़ का प्राविधान है। किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत बाल गृहों के निर्माण के लिए रु0 3.50 करोड़ का प्राविधान नई मांग से किया गया है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण

अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृति के लिए रु0 2.15 करोड़, कौशल वृद्धि प्रशिक्षण हेतु रु0 5 लाख का प्राविधान है। स्वरोजगार योजनाएं स्थापित करने हेतु पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अंश पूंजी के लिए रु0 10 लाख का प्राविधान है।

विकलांग कल्याण

विकलांगों के भरण पोषण हेतु रु0 3.08 करोड़ का प्राविधान है। विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु रु0 8.50 लाख, उनके पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण योजना के लिए

रु0 17.20 लाख का प्राविधान है। नई मांगों के माध्यम से प्रथम बार विकलांग जन अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए रु0 50 लाख तथा विशेष सेवा योजना कार्यालय की स्थापना के लिए रु0 20 लाख का प्राविधान है।

अल्पसंख्यक कल्याण

अरबी–फारसी मदरसों को अनुदान के लिए रु0 25.75 लाख, हज हाउस के निर्माण के लिए रु0 50 लाख, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के प्रारम्भिक व्यय के लिए रु0 27 लाख तथा अंशपूंजी निवेश के लिए रु0 10 लाख का प्राविधान है। अरबी–फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए रु0 2.02 करोड़ तथा प्रान्तीय हज समिति को अनुदान हेतु रु0 6.50 लाख का प्राविधान है।

सैनिक कल्याण

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजना हमारी सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं जिसके लिए रु0 4.68 करोड़ का प्राविधान है।

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रदेश में उत्तरांचल सेवानिवृत्त सैनिक कल्याण उद्यम/निगम का गठन किया गया है। इस वर्ष नयी मांग के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रु0 8 लाख का प्राविधान हैं।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों की समस्याओं के निराकरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिषद का गठन किया गया है जिसके लिए नई मांग के माध्यम से रु0 24.83 लाख तथा पेंशन के लिए रु0 12.20 करोड़ का प्राविधान है।

पशुपालन तथा दुग्ध विकास

पशुपालन के महत्व को देखते हुए पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग पी0पी0आर0, एफ0एम0डी0 आदि की रोकथाम हेतु केन्द्र सहायतित योजना प्रारम्भ की गयी है जिसके लिए नई मांग से लगभग रु0 2.45 करोड़ का

प्राविधान है। चारा बैंकों की स्थापना तथा अनुपयोगी भूसा, चारा को उपचारित कर पुनः प्रयोग में लाने के लिए नई मांग से रु0 18.20 लाख का प्राविधान है। भेड़ विकास कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए उत्तरांचल भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

डेयरी विकास

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हेतु डेयरी विकास की विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। डेयरी विकास की योजना के लिए रु0 2.78 करोड़, महिला डेयरी विकास योजना के लिए रु0 1 करोड़ तथा सघन मिनी डेयरी योजना के लिए रु0 1.50 करोड़ का प्राविधान है। दुग्ध सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान हैं। समन्वित डेयरी विकास योजना के लिए रु0 4.30 करोड़ का प्राविधान है।

मत्स्य विकास

प्रदेश में मत्स्य पालन के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रहीं हैं। शीत जल मत्स्यकी विकास के लिए रु0 1 करोड़, जलाशयों के विकास के लिए रु0 10 लाख, मत्स्य पालन प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना के लिए रु0 60 लाख तथा राष्ट्रीय मछुवा कल्याण योजना के लिए रु0 13 लाख का प्राविधान है।

ग्राम्य विकास

केन्द्र पोषित विभिन्न मजदूरी परक एवं स्वरोजगार योजनाओं का संचालन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रु0 10.41 करोड़ का प्राविधान है जिसके अन्तर्गत 1374 स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषित किये जाने का लक्ष्य है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हेतु रु0 24.29 करोड़, इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत रु0 9.89 करोड़ का प्राविधान है और लगभग 20559 आवासों के

निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास परियोजना के अधीन रु0 5.35 करोड़ का प्राविधान है।

इस वर्ष इंटरनेशनल फण्ड फार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से सहायतित एक नयी परियोजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिए राज्यांश के रुप में रु0 1 करोड़ का प्राविधान है।

केन्द्र सरकार के द्वारा गरीबों के लिए और अधिक आवास निर्माण करने तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्णय लिया है ताकि प्रत्येक निर्धन परिवार के एक स्वस्थ्य व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारण्टी उपलब्ध हो सके। केन्द्र सरकार के उपरोक्त योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने का प्रयास किया जायेगा। इन योजनाओं के लाभार्थियों की चयन की प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 250 तक की आबादी की समस्त असंयोजित बसावटों को

आबादी की वरीयता के अनुसार बारहमासी सड़कों से संयोजित करना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु रु0 201.04 करोड़ अवमुक्त किया गया था। योजना के अन्तर्गत 164 मार्गों तथा 4 सेतुओं के कार्य स्वीकृत हैं। इन मार्गों की कुल लम्बाई 796.02 किमी0 है। माह मार्च, 2004 तक 28 मार्गों जिनकी लम्बाई 325.50 किमी0 है, को पूर्ण कर रु0 91.37 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

तृतीय चरण में 430.37 किमी0 मार्ग जिनसे 96 बसावटें संयोजित होगी, का निर्माण किया जायेगा जिनकी स्वीकृत लागत रु0 61.53 करोड़ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय हेतु रु0 22.00 करोड़ का प्राविधान है।

विधायक निधि

वर्ष 2004–05 में विधायक निधि के अन्तर्गत रु0 53.25 करोड़ का प्राविधान है।

पंचायती राज

श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में केन्द्र की कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान के 73वें व 74वें संशोधनों द्वारा पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक अधिकार देते हुए सशक्त किया गया था। पंचायतों को और अधिक शक्तियां एवं कार्य दिये जाने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में रु0 40.23 करोड़ का अनुदान तथा 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में रु0 65.82 करोड़ अनुदान का प्राविधान है। पंचायतों की कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए 11वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान पर मैचिंग ग्रान्ट हेतु रु0 22.81 करोड़ अनुदान का प्राविधान है।

सहकारिता

प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यक्रमों में सहकारी समितियों का योगदान बढ़ाया जा रहा है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी व

अल्मोड़ा की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की गई है। उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 को व्यवसाय करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेन्स प्राप्त हो गया है एवं उसके द्वारा हल्द्वानी एवं देहरादून में शाखा प्रारम्भ कर दी गई हैं। जिला सहकारी बैंक लि0 कोटद्वार को भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार कमजोर बैंक की श्रेणी से हटाने हेतु रु0 3 करोड़ की सहायता प्रदान की गयी है। उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0 ने अपने प्रथम वर्ष के कार्यकाल में ही लाभ प्राप्त कर सहकारिता के क्षेत्र में एक मिसाल प्रस्तुत की है। प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों को स्वालम्बी बनाये जाने के उद्देश्य से उनके वर्तमान व्यवसाय में वृद्धि करते हुए उनका व्यवसाय रु0 15 लाख प्रति चयनित समिति के स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जड़ी–बूटी योजना के क्षेत्र में प्रत्येक भेषज संघ में एक–एक नई नर्सरी स्थापित की जायेगी। जिससे कि कृषकों को निकटतम स्थान पर जड़ी–बूटी पौध उपलब्ध हो जाय।

सहकारिता विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग रु0 16.46 करोड़ का प्राविधान है।

सामान्य प्रशासनिक सेवाएं

न्याय प्रशासन

न्याय प्रशासन के उन्नयन के लिए भवनों के निर्माण हेतु रु0 15 करोड़ का प्राविधान है। तहसील कीर्तिनगर में सिविल जज के न्यायालय की स्थापना तथा ऋषिकेश, रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों के पदों के सृजन की व्यवस्था नई मांग से की गयी हैं। 11वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से न्याय प्रशासन के उन्नयन के लिए रु0 4.17 करोड़ का प्राविधान हैं।

पुलिस एवं जेल

प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना व अपराधों पर नियंत्रण रखना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है ताकि एक अपराध मुक्त व भय मुक्त वातावरण उत्पन्न हो सके। इसके लिए जहां एक ओर पुलिस बलों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है वहीं प्रदेश की संवेदनशील

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा प्रबन्ध का विस्तार किया जा रहा है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से असामाजिक तत्वों का प्रवेश न हो सके। इसके लिए इस वर्ष नयी मांगों के माध्यम से नये थाने एवं चौकियों की स्थापना के लिए रु0 1.17 करोड़ का प्राविधान है तथा इन क्षेत्रों में अभिसूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए रु0 71.48 लाख का प्राविधान है। पुलिस विभाग के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए रु0 35.50 करोड़ तथा पुलिस प्रशिक्षण कालेज की स्थापना के लिए रु0 2 करोड़ का प्राविधान है। कारागारों के आधुनिकीकरण के योजना के अन्तर्गत रु0 4 करोड़ तथा 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कारागारों के उन्नयन के लिए रु0 1.57 करोड़ का प्राविधान है। प्रदेश में इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिसके लिए रु0 13.66 करोड़ का प्राविधान हैं। राज्य आन्दोलनकारी कल्याण परिषद के गठन के लिए नई मांग से रु0 16.72 लाख का प्राविधान है।

होमगार्ड्स

होमगार्ड्स का प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। होमगार्ड स्वयंसेवकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अक्टूबर, 2003 से मानदेय रु0 85 प्रतिदिन किया गया है तथा होमगार्ड कल्याण कोष की स्थापना की जा चुकी है।

राजस्व प्रशासन व आपदा प्रबन्धन

राजस्व पुलिस क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रत्येक राजस्व ग्राम में ग्राम प्रहरियों की मानदेय के आधार पर व्यवस्था की गई है जिसके लिए नई मांग के माध्यम से लगभग रु0 1.34 करोड़ की व्यवस्था है। पटवारी चौकियों के निर्माण के लिए रु0 5 करोड़, 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रशासन का उन्नयन के अन्तर्गत रु0 39.26 करोड़ की व्यवस्था है।

आपदा राहत निधि के अन्तर्गत रु0 49.66 करोड़ की व्यवस्था है तथा वरुणावत पर्वत के कार्यों हेतु

रु0 100 करोड़ की व्यवस्था है। नवसृजित तहसीलों व उप तहसीलों के लिए पदों के सृजन की व्यवस्था नई मांग के माध्यम से की गयी है जिसके लिए रु0 2.14 करोड़ का प्राविधान है। राजस्व पुलिस एवं भू–लेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, अल्मोड़ा के आधुनिकीकरण हेतु रु0 1.84 करोड़ का प्राविधान है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को वी0पी0एल0 कार्ड के माध्यम से गेहूँ रु0 4.66 प्रति किलोग्राम तथा चावल रु0 6.15 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

अन्त्योदय अन्न योजना में बी0पी0एल0 परिवारों के राशन कार्ड धारकों को रु0 2.00 प्रति किलोग्राम गेहूं तथा रु0 3.00 प्रति किलोग्राम चावल दिया जा रहा है। अभी तक इस योजना में 76300 लाभार्थियों का चयन किया गया है।

अन्नपूर्णा अन्न योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धावस्था पेंशन के पात्र वृद्धों जिन्हें यह पेंशन न मिल रही हो, को निःशुल्क खाद्यान्न 10 किलोग्राम चावल प्रतिव्यक्ति प्रतिमास उपलब्ध कराया जा रहा है।

सूचना एवं लोकसम्पर्क

सरकारी की नीतियों को प्रभावी ढंग से जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्र प्रमुख माध्यम हैं। प्रेस प्रतिनिधियों को सही सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। पत्रकारों के कल्याण के लिए कल्याण कोष का गठन किया गया है जिसके लिए इस वर्ष रु0 5 लाख की व्यवस्था है। विभिन्न जिलों में प्रेस क्लबों की स्थापना के लिए लगभग रु0 1.03 करोड़ की व्यवस्था है। उत्तरांचल साहित्य अकादमी की स्थापना के लिए रु0 1 करोड़ का प्राविधान नई मांग के माध्यम से किया गया है। प्रदेश में फिल्मों के छायांकन को बढ़ावा देने के लिए

राज्य में फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया है जिसके लिए नई मांग से रु0 1 करोड़ का प्राविधान है।

श्रम तथा सेवायोजन

सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2003–04 में 5 नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्रमशः खूँट, मछोड़ (अल्मोड़ा), बाजपुर (ऊधमसिंह नगर), कोटद्वार (पौड़ी), नैनबाग (टिहरी) में स्थापित किये गये हैं।

इस वर्ष जनपद हरिद्वार में खानपुर, नैनीताल में ढोकाने तथा जनपद टिहरी में थत्यूड़ में एक–एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2004–05 में विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों के निर्माण हेतु रु0 3.94 करोड़ तथा सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 3.10 करोड़ का प्राविधान है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी एवं निजी सेवाओं

में उनकी सेवायोजकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के 10 नगरों में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

उत्तरांचल राज्य गठन के तृतीय वर्षगांठ के अवसर पर उत्तरांचल के समस्त सेवायोजन कार्यालयों को कैरियर काउंसिलिंग केन्द्रों के रूप में भी विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कर्मचारी कल्याण

राज्य सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के लिए निरन्तर जागरुक एवं संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के बीच कर्मचारियों के अंतिम आवंटन में गति आयी है और कुछ मामलों में गतिरोध है जिसका शीघ्र ही निराकरण करने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। केन्द्र सरकार के समान राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 50 प्रतिशत धनराशि वेतन में सम्मिलित करने तथा 1 जनवरी, 2004 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। राज्य कर्मचारियों को

अनुमन्य भवन निर्माण अग्रिम की सीमा रु0 2.50 लाख से बढ़ाकर रु0 7.50 लाख करने तथा मोटर कार अग्रिम की सीमा रु0 80 हजार से बढ़ाकर रु0 1.80 लाख करने का भी निर्णय लिया गया है।

नियोजन

प्रदेश की प्रथम पंचवर्षीय योजना का आकार रु0 9050 करोड़ निर्धारित है तथा दशम् पंचवर्षीय योजना में विकास दर 8 प्रतिशत रखी गयी है। वर्ष 2003–04 के लिए वार्षिक योजना का आकार रु0 1575 करोड़ योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था तथा रु0 32.75 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति के फलस्वरूप वार्षिक योजना 2003–04 का आकार रु0 1607.75 करोड़ हो गया था। वार्षिक योजना 2004–05 का आकार अभी निर्धारित नहीं हुआ है तथा केन्द्र सरकार से वार्षिक योजना हेतु अधिकाधिक सहायता का प्रयास किया जा रहा है।

नियोजन विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत रु0 105 करोड़ का प्राविधान है। पूर्णतः केन्द्र पोषित सम विकास योजना के अन्तर्गत चम्पावत, चमोली तथा टिहरी गढ़वाल जनपदों में योजना के क्रियान्वयन हेतु रु0 60 करोड़ का प्राविधान है। केन्द्र सहायतित सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत रु0 6 करोड़ का प्राविधान है तथा सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की राज्य योजना के अन्तर्गत रु0 8.50 करोड़ का प्राविधान है। आयोजनगत विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु रु0 3 करोड़ का प्राविधान है।

वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में आयोजनागत पक्ष में रु0 2819.91 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जिसमें केन्द्र सहायतित तथा बाह्य सहायतित परियोजनायें सम्मिलित हैं। यह प्रयास किया गया है कि केन्द्र सहायतित तथा केन्द्र पुरोनिधानित व बाह्य सहायतित परियोजनाओं से अधिक से अधिक योजनाएं संचालित की जा सकें।

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्ष 2004–05 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

वर्ष 2004–2005 के बजट का वित्तीय विवरण

प्राप्तियाँ

वर्ष 2004–2005 में रु0 7092.92 करोड़ की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में रु0 4628.94 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ तथा रु0 2463.98 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2004–2005 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश रु0 1832.85 करोड़ है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रु0 536.45 करोड़ सम्मिलित है।

व्यय

वर्ष 2004–2005 में राज्य को ऋणों के प्रतिदान पर लगभग रु0 570 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में

लगभग रु0 794 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग रु0 1700.52 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रु0 588.72 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में लगभग रु0 529.60 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2004–2005 में कुल व्यय रु0 7865.39 करोड़ अनुमानित है।

कुल व्यय में रु0 5863.58 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा रु0 2001.81 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि का घाटा

समेकित निधि में रु0 2819.91 करोड़ आयोजनागत पक्ष में तथा रु0 5045.48 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में रु0 1473.77 करोड़ आयोजनागत तथा रु0 4389.81 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है। इसी प्रकार रु0 1346.14 करोड़

आयोजनागत पूंजी लेखा तथा रु0 655.67 करोड़ आयोजनेत्तर पूंजी लेखा हेतु प्रस्तावित है।

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2004–2005 में अनुमानित घाटा रु0 –772.47 करोड़ है।

लोक–लेखा से समायोजन

वर्ष 2004–2005 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रु0 300 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अंतिम शेष

वर्ष 2004–2005 में प्रारम्भिक ऋणात्मक शेष रु0 29.35 करोड़ को हिसाब में लेते हुए अन्तिम ऋणात्मक शेष रु0 480.93 करोड़ होना अनुमानित है। इस ऋणात्मक शेष को व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

माान्यवर,

हमारा प्रदेश इस समय उस स्थिति में आ गया है जिसमें यदि हम पूरे संकल्प और परिश्रम से काम करने में जुट जाएं तो निश्चय ही हम अपनी जनता को तेजी से विकास के पथ पर ले जा सकते हैं। पिछले कुछ समय से जनता की आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं जो स्वाभाविक हैं और हम भी इस बात के लिये कटिबद्ध हैं कि हम इन आकांक्षाओं को यथाशक्ति पूरा करेंगे। यह प्रयास एक बहुत ही दुष्कर कार्य है– यदि मैं इसे विकास महायज्ञ की संज्ञा दूं तो यह अतिशयोक्ति न होगी। आइये, हम सब मिलकर इस विकास महायज्ञ के सफल सम्पादन हेतु जुट जाएं और प्रदेश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार बनाने की पूरी कोशिश करें। लोक सेवा के आदर्श को गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में उजागर किया है:–

" परहित बस जिन्ह के मन माहीं।
तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं।।"

इस दिशा में मैं न केवल अपने शासन के सहयोगियों तथा अपने दल के सम्मानित विधायकों का सहयोग चाहूंगा बल्कि मैं अपने प्रतिपक्ष के सम्मानित मित्रों से भी यथासम्भव योगदान का अनुरोध करुंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता का आर्थिक स्तर ऊँचा करने की दिशा में जो प्रस्ताव हमने इस बजट के माध्यम से सम्मानित सदन के समक्ष रखे हैं, उन पर हमें सदन के सभी पक्षों का सहयोग प्राप्त होगा।

मान्यवर,

अन्त में, मैं, मंत्रिपरिषद् के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है, उसके लिए मैं, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। महालेखाकार, उत्तरांचल एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा इस कार्य में दी गई सहायता के लिये भी कृतज्ञ हूँ। राजकीय मुद्रणालय के

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया जा सका।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 2004–2005 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

आषाढ़, 29 शक संवत् 1926
तद्नुसार
20 जुलाई, 2004 ई0